न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 84/2025/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 06.03.2025
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

राधेश्याम चौधरी पुत्र श्री मोतीलाल चौधरी दत्तक पुत्र जगदीश (मृतक) आत्मज कजौड़, जाति जाट निवासी ग्राम खैरूणा, तहसील नैनवां, जिला बून्दी

.....अपीलान्ट

बनाम

1. गलोल बाई पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी जाटों का मोहल्ला ग्राम खैरूणा, तहसील नैनवां, जिला बून्दी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवां (भू.अभि.), जिला बून्दी

....रेस्पो0

उपस्थित : श्री महेश योगी, अभिभाषक –अपीलांट
श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 24.07.2025

अपील पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अपील प्रकरण संख्या 2080/2022/बून्दी उनवान गलोल बाई बनाम राधेश्याम में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2024 की पालना में न्यायालय हाजा में पेश हुई।

1. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी राधेश्याम के द्वारा न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) नैनवां, जिला बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 06/एल.आर./22 प्रकरण "विरासत निर्धारण प्रार्थना–पत्र गलोलबाई पत्नी स्व0 जगदीश जाट निवासी खैरूणा व राधेश्याम पि0 मोतीलाल जाट नि0 खैरूणा" में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

अति. सं. आयुक्त
कोटा

2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) नैनवां, जिला बून्दी के निर्णय दिनांक 25.02.2022 के विरूद्ध अपीलार्थी राधेश्याम के द्वारा अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किये जाने के उपरांत न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 95/2022 उनवान राधेश्याम बनाम गलोल बाई में पारित निर्णय दिनांक 29.03.2022 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2022 अपास्त किया गया। प्रकरण उभयपक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुय प्रकरण में पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

3. न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 95/2022 उनवान राधेश्याम बनाम गलोल बाई में पारित निर्णय दिनांक 29.03.2022 के विरूद्ध रेस्पो0 गलोल बाई द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के अपील प्रकरण संख्या 2080/2022/बून्दी उनवान गलोल बाई बनाम राधेश्याम में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2024 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 29.03.2022 को निरस्त करते हुए प्रकरण उभयपक्षकारान को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

4. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अभि.) नैनवां, जिला बून्दी के समक्ष प्रार्थीया गलोल बाई पत्नी स्व0 जगदीश जाति जाट निवासी खैरूणा के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मेरे पति जगदीश आत्मज कजोड़ जाति निवासी खैरूणा तहसील नैनवां के खातेदारी की कृषि भूमि स्थित हैं। मेरे पति का 1 जनवरी 2022 को स्वर्गवास को गया हैं। मेरे पति के वारिसान में उनमें मैं ही उनकी विवाहिता पत्नी गलोलबाई की वारिस एवं उत्तराधिकारी है। अतः नियमानुसार उक्त वारिसान के फौती नामांतरकरण खोलने का हल्का पटवारी को आदेश फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ग्राम खैरूणा की जमाबन्दी 2074–77 के खाता सं0 44 में स्थित खसरा सं0 421, 440, 476, 476/969, 1055/477 कुल किता 5 कुल रकबा 15–17 बीघा व ग्राम खैरूणा के ही खाता संख्या 24 में स्थित खसरा सं0 423, 438, 521, 863, 864, 872, 881, 885/961 कुल किता 8 कुल रकबा 9–13 में मृतक जगदीश आत्मज कजोड़ जाति जाट निवासी खैरूणा के स्थान पर गलोलबाई पत्नी स्व0 जगदीश जाति जाट निवासी खैरूणा का नाम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने का निर्णय दिनांक 25.02.2022 पारित किया गया।

अति. सं. आयुक्त
कोटा

5. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 25.02.2022 से अप्रसन्न होकर अपीलांट राधेश्याम के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि रेस्पो0 क्र. 1 गलोल बाई के द्वारा अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 23.02.2022 को अपीलांट के नोटिस अदम तामील प्राप्त हुये, आगामी तारीख पेशी 25.02.2022 नियत की गई और उसी दिन निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं रेस्पो0 क्र. 1 द्वारा विरासत नामांतरकरण खोले जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था। मृतक खातेदार जगदीश का निधन दिनांक 01.01.2022 को हो गया था, जो वादग्रस्त आराजी के खातेदार थे और उनके कोई पुत्र–पुत्री नहीं थे। अपीलांट ने ही उनकी सेवा–सुश्रुषा की तथा स्व0 श्री जगदीश ने उनके जीवनकाल में ही अपीलांट को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था और उसी अनुसार उनकी मृत्यु विरासत नामांतरकरण उनकी पत्नि एवं दत्तक पुत्र अपीलांट के पक्ष में खोला जाना था। इसी बाबत् प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने पर अपीलांट को जारी किये गये नोटिस अदम तामील वापस लौटने अर्थात तामील नहीं होने के उपरांत भी पुनः तामील नहीं की जाकर अपीलांट को सूचना, सुनवाई व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने से वंचित करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन कर विवादित फौती इन्तकाल को एकतरफा जाकर खोले जाने का निर्णय पारित कर दिया गया, जो पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। माननीय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हल्का पटवारी द्वारा की गई जांच में यह तथ्य स्पष्ट रूप से आ गया था कि उक्त नामांतरकरण विवादित है और अपीलांट को मृतक जगदीश ने गोद ले रखा था, जिसकी तस्दीक समाज के व्यक्तियों ने भी पंचनामा आलेखित कर की गई थी, जो दस्तावेज पत्रावली पर भी मौजूद था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों एवं दस्तावेजों से भिन्न जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया है, वह पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी स्पष्ट थे कि मृतक जगदीश की उक्त कृषि आराजी बाबत् घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के समक्ष विचाराधीन है और एक सिविल वाद दत्तक पुत्र के सम्बंध में विचाराधीन है। फिर भी विवादित विरासत नामांतरकरण को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया, जो निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नैनवां का आदेश दिनांक 25.02.2022 निरस्त किया जाकर अपीलांट एवं रेस्पो0 क्र. 1 को स्व0 जगदीश के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस होने के कारण अपीलांट एवं रेस्पो क्र. 1 के नाम विरासत नामांतरकरण खोले जाने का आदेश फरमाया जावे।

अति. सं. आयुक्त
कोटा

6. माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अपील प्रकरण संख्या 2080/2022/बून्दी उनवान गलोल बाई बनाम राधेश्याम में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2024 की पालना में अपील न्यायालय हाजा में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि मृतक जगदीश लाऔलाद फौत हुए तथा अपीलांट राधेश्याम उनका दत्तक पुत्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट दिनांक 14.02.2022 एवं मौका पर्चा पटवारी दिनांक 02.02.2022 अनुसार भी अंकित किया गया है कि ग्रामवासियान ने यह बताया कि मृतक जगदीश ने राधेश्याम को गोद ले रखा था जिसका पंचनामा समाज के पंचों द्वारा बताया गया। इस प्रकार उक्त प्रश्नगत प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत मेंटेनेबल होने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एकतरफा निर्णय पारित कर दिया गया, जबकि उभयपक्षों को सुना जाना चाहिए था। अपीलांट के द्वारा गोद पुत्र की घोषणा हेतु सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। साथ ही दिनांक 06.10.1977 का असल गोदनामा अपीलांट के द्वारा पेश किया गया। गोदनामे का निर्धारण सिविल न्यायालय में तय होना है तथा पक्षकारान के मध्य अधिकारों की घोषणा हेतु सिविल एवं राजस्व वाद जेरकार है, तब तक नामांतरकरण की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा नियमित वाद जेरकार होने से नामांतरकरण की कार्यवाही स्थगित फरमाते हुए उक्त के संबंध में नामांतरकरण में लाल स्याही का नोट लगाकर विवादित रखा जाने तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षों की सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाने के आदेश फरमाया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2022(1) Page No. 607, RRT 2019(1) Page No. 593** पेश किये।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि तहसीलदार नैनवां के द्वारा रेस्पो0 गलोल बाई के पक्ष में नामांतरकरण तस्दीक किया गया हैं। अपीलांट के द्वारा दत्तक पुत्र होने के आधार पर अपील माननीय न्यायालय में पेश की है, जबकि अपीलांट राधेश्याम के दत्तक पुत्र होना प्रमाणित नहीं हैं। मतदाता पहचान–पत्र में अपीलांट का नाम राधेश्याम पुत्र मोतीलाल अंकित है तथा दत्तक होने को सिविल न्यायालय से ही प्रमाणित कराना होगा, क्योंकि दत्तक की तहरीर पर गलोल बाई एवं उसके पति के हस्ताक्षर अंकित

अति. सं. आयुक्त
कोटा

नहीं हैं। अपीलांट राधेश्याम मृतक खातेदार जगदीश का दत्तक पुत्र नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा मृतक जगदीश की कृषि भूमि में दत्तक पुत्र होने के आधार पर अधिकार चाहा गया हैं। गोदपुत्र घोषित कराने का वाद सिविल न्यायालय में जैरकार होना प्रकट है तथा अधिकार घोषणा का नियमित वाद भी राजस्व न्यायालय में जेरकार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अभि.) नैनवां द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस पत्नि के नाम नामांतरकरण तस्दीक करने में त्रुटि नहीं की गई हैं। यदि अपीलांट को गोदपुत्र के आधार पर अधिकारों का निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता हैं। प्रश्नगत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अनुरोध किया गया है कि अधिकारों के निर्धारण तक नामांतरकरण को विवादित का नोट लगाकर स्थगित रखा जावे। चूंकि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा नामांतरकण प्राकृतिक वारिस के नाम तस्दीक किया गया है। दत्तक पुत्र का प्रश्न सिविल न्यायाालय में तय होना है। अतः हम इसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्वरण प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

24-7-2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा